न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर (RAS)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
394 / 2020	26.10.2020	10.06.2022

// अनुवान //

1. दशरथसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

——— वादी

// बनाम //

1. अभयसिंह
2. मामचन्द
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्रान कुन्दनलाल जातियान अहीर निवासी रडवा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
4. बुधराम
5. श्योकरण पुत्रान रामकुमार जातियान अहीर निवासी रडवा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
7. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

– प्रतिवादीगण

8. हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र
9. नृहसिंह पुत्र रामचन्द्र
10. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामचन्द जातियान राजपूत निवासी सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

– तर0 प्रतिवादीगण

- दावा– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी
- उपस्थितिः– श्री [illegible] – वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

–: निर्णय :–

दिनांक :– 10.06.2022

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख0न0 259 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित होकर 1/2 भाग विवादित आराजी होकर मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पिता रामचन्द्र पुत्र कल्लुराम जाति राजपूत व 1/2 भाग रिछपाल पुत्र कल्लुराम जाति राजपूत निवासी सिहाली कलां तह0 मुण्डावर के काब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा जमाबन्दी संवत 2043 के खाता सं0 221 में मिन वादी व तर0 प्रति0 के पिता के नाम अंकन दर्ज व मजूर रहा है तथा इसी प्रकार मौके पर काबिज रहे है। मिन वादी व तरतीबी प्रति0 के पिता स्व0 श्री रामचन्द्र द्वारा अपने जीवनकाल मे दिनांक 09.06.1993 को उक्त आराजी ख0 न0 259 रकबा 3 बीघा के 1/2 भाग में से रकबा 10 बिस्वा का बेचान जरिये रजि0 बयनामा के प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 को कर दिया था लेकिन प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 द्वारा बयनामा का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाते समय राजस्व कर्मचारीयो द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून इंतकाल सं0 478 दिनांक 26.07.1993 को सालिम आराजी का इंतकाल प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के नाम दर्ज कर दिया जिसके आधार पर ही प्रतिवादीगण के नाम का अंकन जमान्दी संवत 2044 मे दर्ज व मंजूर हो गया है जबकि मिन वादीगण अपने पिता से जरिये विरास्त प्राप्त आराजी पर काबिज काश्त है। इसलिये उक्त इंतकाल सं0 478 मिन वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है। जिसे शून्य करार दिया जावे । प्रतिवादीगण द्वारा उक्तानुसार 1/2 भाग मे से 10 बिस्वा खरीद करने के बाद राजस्व रिकार्ड मे गलत इन्द्राज बेजा फायदा उठाकर विवादित आराजी का प्रतिवादी सं0 4 व 5 के नाम बयनामा का इंतकाल स0 700 व 703 दर्ज व मंजूर हो गया था। उक्त इंतकाल के आधार पर प्रतिवादी सं0 4 व 5 के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड संवत 2059–62 की जमाबन्दी में दर्ज व मंजूर हो गया। इसलिये 700 व 703 मिन वादीगण के हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है। जिसे मिन वादी के हक हकूको को बातिल व बेअसर करार दिया जावें। उक्त विवादित आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवीगण के पिता के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी रही है। जो रकबा 1 बीघा यानि 0.25 है0 पर पिता काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे तथा उनकी फौतगी उपरान्त हम काबिज है तथा काश्त कर रहे है इसलिये मिन वादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत इन्द्राजात को दुरस्त कराकर विवादित आराजी ख0 न0 259 रकबा 3 बीघा मे से अपने आप को शेष रकबा 1 बीघा का काब्जेकाश्त खातेदार की घोषणा कराकर इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अंकन दर्ज कराने व हक व हिस्से तक प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराकर रिकार्ड दुरस्त कराने के अधिकारी है। आदि... का अंकन करते हुये वादी मिन वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावें व डिक्री इस्तकरारहक मय दुरस्ती इस अमर की पारित की जावे कि आराजी ख0 न0 259 रकबा 3 बीघा यानि 0.76 है0 वाके ग्राम सिहाली कलां तह0 मुण्डावर के रकबा 1 बीघा का मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को संभाग में कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुरुप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर प्रतिवादी सं0 4 व 5 का नाम मिन वादी व तर0 प्रतिवादी के हक व हिस्से तक हजफ कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावे तथा इंतकाल सं0 478, 700 व 703 को मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूको तक बातिल व बेअसर शून्य करार दिया जावें एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वर्णित आराजी को कही रहन, बय इत्यादि प्रकार से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादीगण को आराजी से बेदखल करे , ना ही काश्त कार्य मे मजाहमत ही पैदा करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड तलबी प्रति0 सं0 1 लगा0 5 एवं 7 लगा0 10 बाद [illegible] की स्थिति मे इनके विरुध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई एवं [illegible]कार सरकार को बार बार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्ड़ावर (अलवर) राज०

478 मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है शुन्य करार दिया जावे तथा उक्तानुसार प्रति0 सं0 1 लगा0 3 के द्वारा ख0 न0 259 रकबा 3 बीघा के 1 भाग मे से 10 बिस्वा खरीद करने के बाद राजस्व रिकार्ड मे इंतकाल सं0 478 के गलत इन्द्राज के आधार पर जमाबन्दीयात में हुये गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादी सं0 4 व 5 को बेचान कर देने व प्रतिवादी सं0 4 व 5 के नाम हुये बयनामे का इंतकाल सं0 700 व 730 दर्ज व मंजूर होने की स्थिति में प्रतिवादी सं0 4 व 5 का अंकन राजस्व रिकार्ड में संवत 2059 – 62 की जमाबन्दी में हुये अंकन जो मिन वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर शुन्य है। जिसे बातिल व बेअसर करार दिया जावें का अभिकथन करते हुयें अपने वाद पत्र की ताइद में प्रर्दश 1 लगा0 12 अनुसार रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.06.93 जिसके मुताबिक विक्रय रामचन्द्र द्वारा आराजी ख0 न0 259 रकबा 3 बीघा बारानी प्रथम के अपने 1/2 भाग मे से रकबा 10 बिस्वा का बेचान किया जाना प्रस्तुत रिकार्ड मे साबित किये जाने का निवेदन करते हुये उक्त बयनामे के अनुसार इंतकाल सं0 478 दिनांक 26.07.1993 अनुसार विक्रयशुदा रकबा 10 बिस्वा के बजाय विक्रेता का सम्पूर्ण हिस्सा यानि ख0 न0 259 का 1/2 भाग गलत रुप से क्रेतागण के नाम दर्ज व मंजूर किया जाना तथा उसी अनुसार उनके नाम राजस्व रिकार्ड में हो रहे अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 द्वारा उक्त गलत उनके नाम से हो रहे इन्द्राज का बेजा फायदा उठाते हुये उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादी सं0 4 व 5 को बेचान कर दिया जाना एवं उक्त बयनामे के आधार पर ही प्रतिवादी सं0 4 व 5 के नाम इंतकाल सं0 700 व 703 दर्ज व मंजूर होकर प्रतिवादी सं0 4 व 5 के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में संवत 2059–62 की जमाबन्दी में अमल दरामद होना जो मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर शुन्य है। जिसे बातिल व बेअसर करार दिये जाने का निवेदन करते हुये वादी के वाद को डिक्री किया जाकर ख0 न0 259 रकबा 3 बीघा यानि 0.76 है0 मे से शेष रकबा 1 बीघा का मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को संभाग मे खातेदार काश्तकार [illegible] जावें एवं प्रति0 सं0 4 व 5 के नाम राजस्व रिकार्ड मे [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

तरतीबी प्रति0 के हक हिस्से तक नाम को हजफ करने के आदेश दिये जावें तथा इसी अनुसार इंतकाल सं0 478 , 700 एवं 703 को मिन वादी व तरतीबी प्रति0 के हक हिस्से तक नाम को हजफ करने के आदेश दिये जावे एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 5 को डिक्री हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त विवादित आराजी को कही रहन बय आदि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादी के काश्त कार्य में किसी भी प्रकार की मजाहमत ही पैदा करे का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रवाली में प्रस्तुत दस्तावेज का गहनता से अवलोकन उपरान्त वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से स्पष्ट रूप साबित कर दिये जाने की स्थिति में यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात स्पष्ट रुप से साबित कर दिये जाने पर स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के आराजी ख0नं0 259 रकबा 3 बीघा यानि 0.76 है0 वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 मे से 1 बीघा यानि 0.25 है0 का वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण को 1 बीघा यानि 0.25 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इंतकाल सं0 478, 700 एवं 703 वाके ग्राम सिहाल कलां मे से वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण की रकबा 1 बीघा की हद तक शुन्य करार दिया जाता है साथ ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 4 व 5 के नाम हो रहे अंकन मे से [illegible] की हद तक नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। [illegible] अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 को [illegible] ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजी को कही [illegible]न , बय आदि प्रकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

मुन्तकिल ना करें, ना ही वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण काश्तकार्य में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करें। पाबन्द रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर, खुले न्यायालय सुनाया गया।

10/06/2022

(पंकज बड़गूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

सहायक कलक्टर
मुण्ड़ावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:23 IST
Reason: SelfAttested